न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बामनवास
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
56 / 2024	16.7.2024	21-03-2025

1. धर्मसिंह
2. मुरारी
3. राधामोहन

पुत्र मून्या उर्फ मुन्नाराम जाति गुर्जर
निवासी सीतोड की बडी झौंपडी
तहसील बामनवास ——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बामनवास ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री विजय सिंह गुर्जर, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी नया खाता संख्या 210 पुराना खाता संख्या 211 कुल किता 1 कुल रकबा 1.06 है0 स्थित ग्राम श्योसिंहपुरा, नया खाता संख्या 73 व पुराना खाता संख्या 66 कुल किता 1 कुल रकबा 0.61 है0 स्थित ग्राम बाढ सीतोड, नया खाता संख्या 52 पुराना खाता संख्या 49 किता 1 कुल रकबा 0.20 है0 स्थित ग्राम बडीझौंपडी एवं नया खाता संख्या 53 पुराना खाता संख्या 50 कुल किता 8 कुल रकबा 2.59 है0 स्थित ग्राम बडीझौंपडी है। प्रार्थीगण के पिता का नाम मून्या उर्फ मुन्नाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम मन्नाराम, मन्ना अंकित हो गया है। यह गलती पटवारी हलका द्वारा लिपिकीय गलती है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम समस्त रिकार्ड में मून्या उर्फ मुन्नाराम है। प्रार्थीगण की पहचापन के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड इत्यादि में पिता का नाम मून्या उर्फ मुन्नाराम नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में रेवेन्यू रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम जो गलत दर्ज किया गया है उसको मून्या उर्फ मुन्नाराम दुरूस्त किया जाना न्याय सम्मत एवं न्यायोचित है। उक्त गलती के कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि को भली प्रकार से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। दिनांक 27.5.2024 विपक्षी से मिले एवं उक्त की गई गलती के बारे में अवगत कराया एवं उक्त ग़लती की दुरूस्ती हेतु निवेदन किया तो विपक्षी ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण के पिता का नाम मन्ना, मन्नाराम के स्थान पर मून्या उर्फ मुन्नाराम संशोधित किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स0मा0)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 नया खाता संख्या 210 ग्राम श्योसिंहपुरा, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 नया खाता संख्या 73 ग्राम बाढसीतोड, नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 नया खाता सं0 52 ग्राम बडीझौंपडी, नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 नया खाता सं0 53, फोटोकोपी आधार कार्ड मुरारीलाल गुर्जर, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र राधामोहन, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र धर्मसिंह प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं अप्रार्थी से जबाब चाहा गया।

अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि राजस्व रिकार्ड भू–प्रबन्ध खतौनी वाके ग्राम बडीझौंपडी के खाता सं0 103 किता 8 रकबा 2.59 है0 में वादी के पिता का नाम मन्ना दर्ज है। वर्तमान आनलाइन जमाबंदी स्थाई वर्ष 2020 के खाता सं0 53 में धर्मसिंह, मुरारी, राधामोहन पि0 मन्ना जाति गुर्जर के नाम दर्ज है। ग्राम बाढ सीतोड के रिकार्ड में वादी के पिता का नाम मन्ना दर्ज है। वादी के दस्तावेज आधार कार्ड व अन्य में पिता का नाम मून्या दर्ज है। मून्या व मन्ना एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः मुताबिक रिकार्ड एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार समस्त उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता का नाम मन्ना दर्ज है।

जबाब के साथ तहसीलदार बामनवास ने पटवारी हलका सीतोड की मूल रिपोर्ट, नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 नवीन खाता संख्या 52, 53 ग्राम बडीझोंपडी, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 नवीन खाता संख्या 73 ग्राम बाढसीतोड, फोटोकोपी आधार कार्ड मुरारीलाल गुर्जर, राधामोहन गुर्जर, धर्मसिंह गुर्जर, फोटोकोपी खतौनी जमाबंदी सं0 2038 ग्राम सीतोड, ग्राम बाढसीतोड प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 नवीन खाता संख्या 210 ग्राम श्योसिंहपुरा में प्रार्थीगण के पिता का नाम मन्नाराम अंकित है, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 नवीन खाता संख्या 73 में प्रार्थीगण के पिता का नाम मन्ना दर्ज है। नकल जमाबंदी सं0 2075 से 2078 नवीन खाता संख्या 52, 53 ग्राम बडीझौंपडी में प्रार्थीगण के पिता नाम मन्ना दर्ज है। प्रार्थीगण अपने पिता का सही नाम मून्या उर्फ मुन्नाराम दर्ज करवाना चाहते हैं। तहसीलदार बामनवास की रिपोर्ट के साथ पटवारी हलका की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मून्या उर्फ मुन्नाराम एक ही व्यक्ति है। इस नाम

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स0मा0)

Scanned with CamScanner

धर्मसिंह वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा0पत्र 136 एल0आर0एक्ट

का अन्य कोई व्यक्ति गांव में नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पुष्टि तहसीलदार बामनवास के जबाब के साथ प्राप्त रिपोर्ट पटवारी से होती है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम श्योसिंहपुरा की जमाबंदी सं0 2074 से 2077 के नवीन खाता संख्या 210 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मन्नाराम के स्थान पर मून्या उर्फ मुन्नाराम, ग्राम बाढसीतोड की जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के नवीन खाता संख्या 73 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम मन्ना के स्थान पर मून्या उर्फ मुन्नाराम एवं ग्राम बडीझोंपडी की जमाबंदी सं0 2075 से 2078 के नवीन खाता संख्या 52, 53 में दर्ज प्रार्थीगण के पिता नाम मन्ना के स्थान पर मून्या उर्फ मुन्नाराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त वर्णित खातो में इसी अनुसार नाम की दुरूस्ती की जावे। इन खातो में दर्ज शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार लैण्ड होल्डर बामनवास को पालनार्थ भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-03-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीणा)
उप जिला कलक्टर
बामनवास